छत्तीसगढ़ शासन

श्री गुरू खुशवंत साहेब
माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति विभाग

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2025-26

अनुसूचित जाति विकास विभाग

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2025-26

अनुसूचित जाति विकास विभाग

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन

भार साधक मंत्री - मान. श्री गुरू खुशवंत साहेब

*****

मंत्रालय

प्रमुख सचिव - श्री सोनमणि बोरा

संयुक्त सचिव - श्री अनुपम त्रिवेदी

*****

संचालनालय

आयुक्त - डॉ. सारांश मित्तर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

विषय-सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
	भाग - एक	
1.	छत्तीसगढ़ में जिलेवार अनुसूचित जाति जनसंख्या	1
2.	महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी	2
3.	विभाग का परिचय	3
4.	विभाग का दायित्व एंव कार्य	4
5.	विभाग के अधीन गठित आयोग/मण्डल एवं अन्य समितियाँ	5-6
6.	अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण	7
	भाग - दो	
7.	विभागीय बजट प्रावधान एवं व्यय की जानकारी	8-10
8.	विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति छात्रावास/आश्रमों की जानकारी	11
	भाग - तीन	
9.	विभाग द्वारा संचालित अन्य प्रमुख योजनाएं - ऑनलाईन शिष्यवृत्ति वितरण, छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्यूशन) योजना, स्वस्थ तन-स्वस्थ मन योजना, छात्र भोजन सहाय योजना, खाद्यान्न सुरक्षा योजना, पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना	12-15
10.	अशासकीय संस्थाओं को राज्य अनुदान की जानकारी	16-17
11.	क्रीड़ा परिसर	18
12.	अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक (महाविद्यालयीन स्तर) छात्रवृत्ति योजना	19-21
13.	रोजगार मूलक योजनाएं - बीएससी नर्सिंग पाठयक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा, हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना, रविदास चर्मशिल्प योजना	22
	भाग - चार	
14.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, संशोधन अधिनियम 2015 यथा संशोधित अधिनियम 2018 अंतर्गत राहत योजना : अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, मैनुअल स्केवेंजर्स के सर्वेक्षण, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	23-36
15.	सम्मान एवं पुरस्कार	37

Scanned with CamScanner

	भाग - पाँच	
16.	छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम	38-41
17.	अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 का क्रियान्वयन, अनुसूचित जाति उपयोजना	42-45
	भाग - छः	
18.	फ्लैगशिप योजनाएं - राजीव युवा उत्थान योजना: संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी, छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे तथा व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, युवा कॅरियर निर्माण योजनांतर्गत प्री.मेडिकल तथा प्री. इंजीनियरिंग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना, संघ लाक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2009, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना, आर्यभटट विज्ञान वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना	46-53
19.	छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित जाति वर्ग की सूची	54-55
	भाग - सात	
20.	सारांश	56

Scanned with CamScanner

भाग - एक

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ का मानचित्र

Scanned with CamScanner

अध्याय - 1
District wise Total SC Population in Chhattisgarh

State/Districts	2011
Chhattisgarh	**3274269**
Koriya	21840
Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur	32936
Balrampur	32732
Surajpur	42830
Surguja	40090
Jashpur	48844
Raigarh	126349
Korba	124679
Janjgir-Champa	238520
Sakti	159388
Gourell-Pendra-Marwahi	20802
Mungeli	194770
Bilaspur	337420
Kabeerdham	119798
Rajnandgaon	95782
Khairagarh-Chhuikhadaan-Gandai	40119
Manpur-Mohla-AmbagarhChouki	20722
Bemetara	144022
Durg	245587
Balod	68431
Balodabazar	229792
Raipur	358674
Gariabandh	60558
Sarangarh-Bilaigarh	173819
Mahasamund	139581
Dhamtari	58581
Uttar Bastar Kanker	31543
Kondagaon	23204
Bastar	14759
Narayanpur	4979
Dakshin Bastar Dantewada	10220
Sukma	2776
Bijapur	10122

Source : National Commission on Population, MoHFW, GoI

Scanned with CamScanner

अध्याय - 2
महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी

1.	राज्य का क्षेत्रफल	135192 वर्ग किलोमीटर
2.	राज्य का अनुसूचित क्षेत्र	81,861,88 वर्ग किलोमीटर
3.	जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या	255.45 लाख
4.	कुल जनंसख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या	32.74 लाख
5.	कुल जनंसख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत	12.81 प्रतिशत
6.	जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत	70.28 प्रतिशत
7.	अनुसूचित जाति की साक्षरता (वर्ष 2011)	
	औसत	70.76 प्रतिशत
	पुरूष	81.66 प्रतिशत
	महिला	59.86 प्रतिशत
8.	सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला	1. रायपुर (358674) 2. बिलासपुर (337420)
9.	न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला	1. सुकमा (2776) 2. नारायणपुर (4979)

□□□□□

Scanned with CamScanner

अध्याय - 3
विभाग का परिचय

अनुसूचित जाति (Scheduled Castes) भारतीय समाज के उस वर्ग को संदर्भित करता है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से वंचना एवं भेदभाव का सामना करना पड़ा। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इन वर्गों की पहचान करते हुए उन्हें विशेष संरक्षण, अधिकार एवं अवसर प्रदान किए हैं, ताकि वे मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक और समान भागीदारी के साथ आगे बढ़ सकें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों की सूची अधिसूचित की जाती है। इन वर्गों हेतु सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में आरक्षण एवं विशेष प्रावधान किए गए हैं।

सामाजिक दृष्टि से अनुसूचित जातियों ने लंबे समय तक अस्पृश्यता, बहिष्कार और सामाजिक अलगाव का सामना किया। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम, 1955 (वर्तमान में सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जैसे कानून लागू किए, जिसका उद्देश्य इस वर्ग को सामाजिक सुरक्षा और न्याय प्रदान करना है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या 255.45 लाख है, इसमें अनुसचित जातियों की जनसंख्या 32.74 लाख है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 12.81 प्रतिशत है। इसी प्रकार जनगणना 2011 के अनुसार छ.ग. में साक्षरता का प्रतिशत 70.28 प्रतिशत है, जबकि अनुसूचित जाति की साक्षरता का प्रतिशत 70.76 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 9 दिसम्बर 2022 की अधिसूचना कमांक एफ 1–1/2022/एक (1) अनुसार आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के नाम में संशोधन कर आदिम जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग तथा अनुसूचित जाति विकास किया गया है।

भारत के संविधान में व्यक्त 'सामाजिक न्याय' के संकल्प ने अनुसूचित जातियों को समानता के अधिकार से संपन्न करते हुये उनकी प्रगति के रास्ते खोल दिए हैं। संविधान की मंशा के अनुरूप अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक विकास एवं आर्थिक उन्नति की योजनाएं बनी। उन्हें क्रियान्वित कर संबंधित वर्गों को विकास–यात्रा में शामिल करने के निरंतर प्रयास हुये। इन प्रयासों के परिणाम भी सामने आए। इन वर्गों के लिए मानव अधिकार सूचकांक में अपेक्षाकृत सुधार परिलक्षित हुआ है।

शैक्षणिक क्षेत्र में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, छात्रावास सुविधा, कोचिंग योजनाएँ एवं उच्च शिक्षा में आरक्षण जैसी व्यवस्थाएँ की गई हैं। इन प्रयासों से साक्षरता दर में निरंतर वृद्धि हुई है तथा उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में इनकी भागीदारी बढ़ी है। सामाजिक, आर्थिक विकास के फलस्वरूप इन वर्गों की प्रतिष्ठा में लगातार वृद्धि हुई है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्वरोजगार योजनाएँ, कौशल विकास कार्यक्रम, उद्यमिता प्रोत्साहन योजनाएँ तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। शासन–प्रशासन में इनकी सहभागिता सम्मानजनक रूप से बढ़ी है। फिर भी विकास की यह यात्रा अभी और लंबी है एवं प्रगति के अनगिनत सोपान तय किये जाने हैं।

□□□□□

Scanned with CamScanner

अध्याय - 4
विभाग का दायित्व एवं कार्य

- अनुसूचित जाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए योजनाओं का संचालन।
- अनुसूचित जाति उपयोजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विकास विभागों को बजट आवंटन उपलब्ध कराना, नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना एवं योजनाओं का अनुश्रवण करना।
- विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
- अनुसूचित जाति कल्याण हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यक्रमों / योजनाओं का संचालन।
- अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को अन्य सक्षम वर्गों के द्वारा शोषित एवं उत्पीड़ित किए जाने की स्थिति में शोषित वर्गों को संवैधानिक संरक्षण, राहत एवं पुर्नवास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासकीय व्यवस्था करने का दायित्व।

विभाग का कार्य :-

- विभागीय अमले से संबंधित समस्त प्रशासकीय कार्य।
- अनुसूचित जाति वर्ग के विकास से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
- अनुसूचित जाति के विकास की योजनाओं के लिए बजट आबंटन उपलब्ध कराना।
- अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत विभिन्न विभागों को प्राप्त बजट आवंटन की निरंतर समीक्षा एवं योजनाओं का अनुश्रवण।
- विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का निर्माण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन। केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के संचालन का अनुश्रवण।
- अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण–पत्रों का परीक्षण।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, संशोधन अधिनियम 2015 एवं संशोधन अधिनियम 2018, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 का क्रियान्वयन।

❑❑❑❑❑

Scanned with CamScanner

अध्याय - 5
विभाग के अधीन गठित आयोग/मंडल एवं अन्य समितियां

अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जातियों के हितों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय के आदेश कं.–16–42/2022/25–2, दिनांक 20 जनवरी 2023 द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद नियम 2022 के उपनियम–3 के प्रावधान अनुसार राज्य में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद के पुर्नगठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति

राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 23 सहपठित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 यथा संशोधित नियम, 2018 के नियम 16 के अंतर्गत दिनांक 11.07.2025 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 54 सदस्यीय राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति का पुनर्गठन किया गया है। जिला स्तर पर कैलेण्डर वर्ष 2025 में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की 74 बैठकें आयोजित की गई हैं।

छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति आयोग :-

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य की विधानसभा से पारित म.प्र. अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 1995 के अनुरूप छ.ग. राज्य में भी अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना फरवरी 2007 को की गई। वर्तमान में अध्यक्ष का पद रिक्त है।

आयोग को अप्रैल 2024 से नवम्बर 2025 तक (विगत 02 वर्ष) शिकायत संबंधी कुल 289 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें 126 प्रकरणों का निराकरण किया गया है, तथा 163 प्रकरण आयोग में प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राशि 224.70 लाख आबंटन प्राप्त हुआ जिसमें से दिसम्बर 2025 की स्थिति में राशि 66.78 लाख व्यय हुआ तथा राशि 157.92 लाख बचत है।

छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड :-

छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 19.01/2021/25–1 दिनांक 06 अगस्त 2021 के द्वारा छ.ग. चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड की स्थापना की गई। राज्य शासन द्वारा बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष के रूप में श्री तरूण बिजौर नियुक्त हुए। वर्तमान में श्री ध्रुव कुमार मिर्धा, अध्यक्ष (राज्य मंत्री दर्जा) पदस्थ है।

उद्देश्य :-

राज्य में चर्म शिल्पकार को योजनाओं के माध्यम से स्व–रोजगार के अवसर उपलबध कराना, उन्नत प्रशिक्षण एवं उन्नत उपकरण प्रदान करना, चर्म शिल्पकार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋणग्रस्त चर्म शिल्पकार को राज्य शासन के योजना

Scanned with CamScanner

अंतर्गत आवश्यक मदद करना तथा छ.ग. में चर्म शिल्पकार को बढ़ावा देना तथा चर्म शिल्पकार से संबंधित गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों के रूचि को प्रोत्साहन देना।

चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के कार्य :-

1. प्रदेश में चर्म शिल्प विकास हेतु स्थानीय उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए चर्म शिल्प के विकास को अधिक लाभप्रद बनाने के लिए सुझाव देना।
2. चर्म शिल्प एवं उससे जुड़े कार्यों के विकास के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नीतियों/कार्यक्रमों के संबंध में सुझाव देना।
3. चर्म शिल्प विकास एवं इससे संबंद्ध कार्यक्षेत्रों में आर्थिक निवेश बढ़ाने हेतु ऋण/साख की वर्तमान व्यवस्था एवं सरल बनाने के लिए सुझाव देना।
4. चर्म शिल्प एवं गतिविधियों एवं संरक्षण के लिए उपाय सुझाना तथा ऐसे क्षेत्रों में लागू विभिन्न विकास मूल कार्यकमों को समेकित कर, ग्रामीण क्षेत्रों में चर्म शिल्पकार द्वारा रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में सुझाव देना।
5. पलायन से निरंतर प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की समस्या निवारण हेतु सुझाव देना।
6. चर्म की सुरक्षा एवं सुव्यवस्थित रखने हेतु उसके भण्डारण एवं मूल्य संवर्धन तथा वर्तमान विपणत व्यवस्था एवं विपणन अधोसंरचना के विस्तार आदि का विकासोन्मुखी बनाने के लिए सुझाव देना।
7. शिक्षित युवाओं को आकर्षित करने के उपाय सुझाना।
8. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में चर्म शिल्प की उपयोगिता एवं आने वाली समस्यों के निराकरण के उपाय सुझाना
9. वंशानुगत रूप से लगे चर्म शिल्प के एवं उनके सर्वांगीण विकास एवं उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव देना।

❑❑❑❑❑

Scanned with CamScanner

अध्याय - 6
अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अंतर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जाति समुदाय के विकास हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण एवं कियान्वयन की समीक्षा तथा अनुश्रवण किया जाना है। क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जाति समुदायों के आर्थिक विकास, संस्कृति के संरक्षण, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा अंचल के विकास हेतु प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है। जिसमें अनुसूचित जाति बाहुल्य जिले जांजगीर–चांपा, सक्ती, बिलासपुर, मुंगेली, रायपुर, बलौदाबाजार–भाटापारा, गरियाबंद, रायगढ़, सारंगढ़–बिलाईगढ़, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, कबीरधाम, महासमुन्द, राजनांदगांव, खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई, धमतरी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जिलों के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम/बस्तियों के मजरा, टोला, पारा, मोहल्ला एवं नगरीय क्षेत्र के वार्ड में जहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत से अधिक हो सम्मिलित होंगे। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मान. मुख्यमंत्री छ.ग.शासन हैं।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में पूंजीगत एवं राजस्व मद मिलाकर कुल राशि रू. 5000.00 लाख प्रावधान किया गया है।

❑❑❑❑❑

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

भाग - दो

Scanned with CamScanner

अध्याय - 7
विभागीय बजट

विभागीय बजट (2023-24) मार्च 2024 की स्थिति में

(राशि लाख में)

क्रं.	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति उपयोजना	44098.37	25044.73	56.79
2	अन्यान्य बजट अनुसूचित जाति	274.80	142.75	51.95
योग :-		**44373.17**	**25187.48**	**56.76**

विभागीय बजट (वित्तीय वर्ष 2024-25) मार्च 2025 की स्थिति में

(राशि लाख में)

क्रं.	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति उपयोजना	52681.42	30785.81	58.44
2	अन्यान्य बजट अनुसूचित जाति	285.90	101.04	35.34
योग :-		**52967.32**	**30886.85**	**58.31**

विभागीय बजट (वित्तीय वर्ष 2025-26) दिसम्बर 2025 की स्थिति में

(राशि लाख में)

क्र.	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति उपयोजना	56892.74	20208.29	35.52
2	अन्यान्य बजट अनुसूचित जाति	273.90	87.28	31.87
योग:-		**57166.64**	**20295.57**	**35.50**

Scanned with CamScanner

विभाग द्वारा संचालित विकास योजनाएँ (अनुसूचित जाति)

(राशि लाखो में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2023-24				वर्ष 2024-25				वर्ष 2025-26			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	आश्रम शाला योजना	600.00	147.29	3790	3039	600.00	487.62	छात्र/छात्राएं	3096	600.00	478.15	छात्र/छात्राएं	2949
2	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	163.00	120.00	165	1	173.00	123.63	1	1	191.00	120.00	01	01 संख्या
3	विशेष शिक्षण केन्द्र ट्यूशन योजना	55.00	33.00	-	-	60.50	60.50	छात्र/छात्राएं	4872	60.50	24.20	छात्र/छात्राएं	01 संख्या
4	छात्रावास योजना	21613.00	1321.38	16507	15256	2613.00	2356.36	छात्र/ छात्राएं	14961	2613.00	2111.02	छात्र/छात्राएं	14594
5	छात्र भोजन सहाय योजना	650.00	331.03	5460	4933	721.60	647.54	छात्र/छात्राएं	5328	721.60	538.55	छात्र/छात्राएं	5164
6	पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना	420.00	411.73	छात्र/छात्राएं	359	470.00	232.15	छात्र/छात्राएं	375	470.00	431.10	छात्र/छात्राएं	397
7	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न	300.00	225.00	258	23228	300.00	300.00	छात्र/छात्राएं	23365	300.00	300.00	छात्र/छात्राएं	23597
8	युवा कॅरियर निर्माण योजना	52.60	25.15	100	100	52.60	14.20	छात्र/छात्राएं	100	97.60	52.59	236	229
9	छात्रावास/आश्रम एवं शाला भवनों का निर्माण	750.00	750.00	19	7	2250.00	1439.40	18	10	100.00	49.99	4	0

(अ) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

(राशि लाखो में)

क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2023-24			वर्ष 2024-25			वर्ष 2025-26		
		व्यय राशि	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	व्यय राशि	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	व्यय राशि	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम राहत सहायता/पुनर्वास एवं अनुरक्षण अनुदान	856.52	हितग्राही	628	799.12	हितग्राही	648	498.96	हितग्राही	395
2	अंतजार्तीय विवाह प्रोत्साहन योजना	2060.00	दंपत्ति	824	2652.50	दंपत्ति	1061	1945.00	दंपत्ति	778
3	अस्पृश्यता निवारणार्थ आयोजन	37.53	शिविर	26	48.91	शिविर	30	29.70	शिविर	24

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2023-24					वर्ष 2024-25					वर्ष 2025-26				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	अनुसूचित जाति पो. पै. छात्रवृत्ति	6000.00	38	2438	छात्र/छात्राएं	86032	8000.00	0.00	3200.00	छात्र/छात्राएं	83040.00	8000.00	47.00	3247.00	छात्र/छात्राएं	स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन

Scanned with CamScanner

(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2023-24					वर्ष 2024-25					वर्ष 2025-26				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय राशि	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय राशि	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय राशि	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	4000.00	-	-	-	-	4000.00	-	-	-	-	7980.00	3081.80	368.04	निर्माण चल	-

विशेष केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)

(राशि लाखो में)

क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2023-24					वर्ष 2024-25					वर्ष 2025-26				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय राशि	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय राशि	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय राशि	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17
1	स्वरोजगार योजना	2000.00	-	-	-	-	2000.00	-	-	-	-	4700.00	369.21	-	-	-
2	क्षेत्रीय विकास के लिए अधोसंरचना निर्माण कार्य	5700.00		379.00	-	-	5700.00		155.00	-	-	5700.00		12.49	-	-
	योग	7700.00		379.00	-	-	7700.00					10400.00	369.21	12.49		

अनुसूचित जाति उपयोजना - विभागीय बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति

(राशि करोड़ में)

क्रमांक	वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
1	2023-24	440.98	250.44
2	2024-25	526.81	307.85
3	2025-26 (माह दिसम्बर 2025 की स्थिति में)	568.92	202.08
	योगः—	**1536.71**	**760.37**

Scanned with CamScanner

अध्याय - 8
छात्रावास आश्रम

विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति छात्रावास/आश्रमों की सांख्यिकीय जानकारी
शैक्षणिक सत्र 2025-26 की स्थिति में

छात्रावास/आश्रम

अनु. क्र.	वर्ग	छात्रावास/आश्रमों की संख्या				स्वीकृत सीट्स
		प्री.मैट्रिक	पो.मैट्रिक	आश्रम	योग	
1	अनुसूचित जाति	342	92	51	485	25917
योग		**342**	**92**	**51**	**485**	**25917**

अनुसूचित जाति छात्रावास शैक्षणिक सत्र 2025-26

अनु. क्र.	छात्रावास का नाम	कुल संचालित छात्रावासों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	प्री मैट्रिक	198	144	342	9101	7456	16557
2	पोस्ट मैट्रिक	48	44	92	3050	2560	5610
योग		**246**	**188**	**434**	**12151**	**10016**	**22167**

अनुसूचित जाति आश्रम शैक्षणिक सत्र 2025-26

अनु. क्र.	आश्रम का नाम	कुल संचालित आश्रमों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	माध्यमिक आश्रम	3	2	5	200	800	1000
2	प्राथमिक आश्रम	23	23	46	1300	1450	2750
योग		**26**	**25**	**51**	**1500**	**2250**	**3750**

❑❑❑❑❑

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

भाग - तीन

Scanned with CamScanner

अध्याय - 9
विभाग द्वारा संचालित अन्य प्रमुख योजनाएँ

ऑनलाईन शिष्यवृत्ति वितरण

अनुसचित जाति प्री. मैट्रिक छात्रावासों एवं आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को मेस संचालन हेतु शिष्यवृत्ति की राशि वर्ष 2015–16 से ऑनलाईन के माध्यम से प्रदाय की जा रही है। विभाग द्वारा संचालित प्री मैट्रिक छात्रावासों एवं आश्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रतिमाह शिष्यवृत्ति राशि रूपये 1500/– प्रदान किया जाता है। वर्तमान में शिष्यवृत्ति का वितरण ऑनलाईन द्वारा किया जाता है। शिष्यवृत्ति की राशि राज्य स्तर से जिले के अधीक्षकों एवं छात्रावास नायक के संयुक्त खाते में हस्तांतरित किया जाता है। विद्यार्थियों के मासिक उपस्थिति तथा मेस डाइट चार्ट के आधार पर विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति भुगतान किया जाता है। इस प्रक्रिया से समय की बचत तथा पारदर्शिता आई है। शिष्यवृत्ति मद में वर्ष 2025–26 हेतु प्रावधानित राशि रूपये 3380.20 लाख प्रावधानित है।

(राशि लाखो में)

क्रं.	योजना का नाम	प्राप्त आवंटन
1	2	3
1	अनुसूचित जाति शिष्यवृत्ति योजना (छात्रावास)	2613.00
2	अनुसूचित जाति शिष्यवृत्ति योजना (आश्रम)	600.00
3	अशासकीय संस्था को शिष्यवृत्ति योजना (छा/आ) अ.जा. (307)	167.20
	योग	**3380.20**

छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्यूशन) योजना :-

दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में कठिन विषयों के शिक्षकों का अभाव बना रहता है, जिसके कारण छात्रावास आश्रमों में निवासरत् विद्यार्थी कठिन विषयों में कमजोर रह जाते हैं, फलस्वरूप परीक्षा परिणाम अपेक्षित स्तर का नहीं रहता है। इस योजना द्वारा अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के छात्रावासों/आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एव उपचारात्मक विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों जैसे–गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, वाणिज्य से संबंधित कमजोरी को दूर करने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे इस वर्ग के छात्र/छात्राओं के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने योग्य बन सके, विशेष शिक्षण प्रदान करने हेतु 146 विकासखंडों पर विशेष शिक्षण केन्द्र योजना प्रारंभ की गई है।

वर्ष 2025–26 में इस हेतु 60.50 लाख प्रावधानित है।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) विशेष सेवायें हेतु योजना :-

इस योजना अंतर्गत विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत छात्र–छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु यह योजना वर्ष 2007–08 से लागू है इसके अंतर्गत अनुबंधित निजी चिकित्सकों द्वारा माह में दो बार विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। अनुसूचित जाति के लिए वर्ष 2025–26 में इस योजना का प्रावधान राशि रूपये 53.40 लाख है।

Scanned with CamScanner

छात्र भोजन सहाय योजना :-

भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत छात्रों को छात्रावासी दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिनसे छात्रावासी विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्तियां उनके मात्र भोजन की पूर्ति कर पाती है। छात्रावासी विद्यार्थियों के बढ़ते उम्र के अनुरूप संतुलित शारीरिक मानसिक विकास हेतु अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विशेष पोषण आहार के लिए अतिरिक्त राशि प्रदाय करने के लिए छात्र भोजन सहाय योजना वर्ष 2005–06 से प्रारंभ की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह योजना वर्ष 2015–16 से प्रारंभ की गई है।

वर्ष 2023–24 में राशि रूपये 700/– में वृद्धि करते हुये राशि रूपये 1200/– प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी किया गया है।

योजना के तहत् वर्ष 2025–26 के लिए बजट प्रावधान की जानकारी निम्नानुसार है :–

(राशि लाख में)

वर्ग	प्रावधान
अनुसूचित जाति	721.60
योग -	**721.60**

Scanned with CamScanner

खाद्यान्न सुरक्षा योजना :-

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्यान्न सुरक्षा योजना वर्ष 2013 से प्रारंभ की गई है। उक्त योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति वर्ग छात्रावास–आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों के साथ–साथ विशिष्ठ संस्था/अशासकीय संस्थाओं में निवासरत विद्यार्थियों को भी रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। योजना अन्तर्गत वर्तमान में राशि रूपये 6.25/– के दर से प्रति विद्यार्थी प्रति माह 15 किलो के मान से छात्रावास अधीक्षक द्वारा चावल का उठाव किया जाता है। स्टेट पुल के चावल का उठाव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा निर्धारित दर लगभग राशि रूपये 28/– से 30/– का भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है। खाद्यान्न सुरक्षा योजना अतंर्गत वर्ष 2025–26 के लिए प्रावधान निम्नानुसार है :–

(राशि लाख में)

क्रं.	वर्ग	प्रावधान
1	अनुसूचित जाति	300.00
	योग -	**300.00**

पं. जवाहर लाल नेहरू विद्यार्थी उत्कर्ष योजना :-

शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट मापदंड स्थापित करने वाले निजी प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय एवं समकक्ष संस्थाओं के महंगी फीस के कारण प्रतिभावन आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र उक्त विद्यालय में पढ़ने से वंचित रह जाते है। इस बात को ध्यान में रखते हुए छ.ग. शासन द्वारा पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना का संचालन किया जाता है, जिसमें कक्षा 6वीं से 12वीं तक विद्यालयीन शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है।

योजनांतर्गत प्रतिवर्ष कुल 200 विद्यार्थियों को राज्य के उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाता है, जिसमें से 70 अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी होते है।

Scanned with CamScanner

अनुसूचित जाति की जानकारी

वर्ष	बजट प्रावधान (राशि लाख में)	प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या
2023–24	420.00	362
2024–25	470.00	375
2025–26	470.00	397

वर्ष	छात्रों के परीक्षा परिणाम का प्रतिशत	
	10वीं प्रतिशत	12वीं प्रतिशत
2022–23	100.00	95.24
2023–24	100.00	100.00
2024–25	100.00	97.63

Scanned with CamScanner

अध्याय - 10
अशासकीय संस्थाओं को राज्य अनुदान की जानकारी

छत्तीसगढ में अनुसूचित जनजातियों एव अनुसूचित जातियों के आर्थिक, परंपरागत मूल संस्कृति, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान से संबंधित गतिविधियों में अशासकीय प्रयासों कों प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अशासकीय संस्थाओं कों अनुदान सहायता स्वीकृत किया जाता हैं। इस हेतु "अशासकीय संस्था अनुदान नियम 2006 " बनाया गया है।

पात्रता :- अशासकीय संस्था अनुदान नियम 2006 के अनुसार।

नियम एवं शर्तें:-

(1) अशासकीय संस्था अनुदान नियम 2006 अंतर्गत ये नियम उन समस्त अशासकीय संस्थाओं को अनुदान सहायता दिये जाने हेतु लागू होंगें जो छत्तीसगढ राज्य में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के आर्थिक,परंपरागत मूल सांस्कृतिक,सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान संबंधी गतिविधियों में रत हों।

(2) जो तत्समय प्रवृत्त विधि या विधियों के अधीन आवेदन तिथि से 05 वर्ष पूर्व पंजीकृत हो तथा आवेदन तिथि को जिसका पंजीयन जीवित हों।

(3) संस्था, जिस वर्ग (अनु. जा. या अनु. ज.जा) के लिए कार्य करना चाहती है तो उस वर्ग का न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्य संस्था के प्रबंध कारिणी में होना चाहिए तथा उनमें से न्यूनतम 3 सदस्य संस्था के पदाधिकारी भी होना आवश्यक होगा।

(4) शैक्षणिक उत्थान की गतिविधि संचालित करने वाली वह संस्था –

(अ) जिसके द्वारा संचालित प्रवृत्ति या प्रवृत्तियां सक्षम स्तर से मान्यता प्राप्त हो।

(ब) जिसके द्वारा संचालित प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में कुल दर्ज संख्या का 60 प्रतिशत होना चाहिए परंतु अनु.जजा. एवं/अथवा अनु जा. के विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक कक्षा में 60 से अन्यून होनी चाहिए।

(स) जिसके द्वारा संचालित हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल में कुल दर्ज संख्या का 50 प्रतिशत अनु.जजा. एवं/अथवा अनु.जा. के विद्यार्थी होना चाहिए परंतु अनु. जजा. एवं/अथवा अनु. जा. के विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक कक्षा में 50 से अन्यून होनी चाहिए।

(द) छात्रावास एवं आश्रम में कुल दर्ज विद्यार्थियों का 90 प्रतिशत अनुसुचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति का हो।

(5) जो आवेदित प्रवृत्ति या प्रवृत्तियों को स्वयं के व्यय से पिछले तीन वर्षो से सफलतापूर्वक संचालित कर रही हो परंतु पूर्व से अनुदान सहायता प्राप्त संस्था को प्रवृत्ति के विस्तार एवं/अथवा नवीन प्रवृत्तियां हेतु शासन को यह संतोष होने पर कि संस्था द्वारा पूर्व प्रवृत्ति या प्रवृत्तियों को सफलता के साथ संचालित किया जा रहा है और उसी भांति विस्तारित प्रवृत्ति या प्रवृत्तियों को एवं/अथवा नई प्रवृत्ति संचालित करने हेंतु संस्था सक्षम है, इस नियम कंडिका के उपबंध किये जा सकेंगे।

Scanned with CamScanner

(अ) राज्य शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओं की सूची

(अनुसूचित जाति) - मांग संख्या 64

क्रं.	समिति का नाम	जिला
1	हरिजन सेवा संघ रायपुर	रायपुर, बिलासपुर, मुंगेली

टीप :- विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु कार्य कर रहे उक्त संस्था द्वारा 03 प्रकार (छात्रावास, बालवाडी एवं अस्पृस्यता निवारण केन्द्र) के 09 प्रवृत्तियों का संचालन हेतु अशासकीय संस्था को अनुदान दिया जाता है।

(ब) अशासकीय संस्था हेतु राज्य विभागीय बजट में प्रावधान (अनुसूचित जाति)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2025-26			
		बजट प्रावधान	जारी राशि	अशासकीय संस्था की संख्या	संस्था द्वारा संचालित केन्द्रों की संख्या
1	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	191.00	120.00	01	09

❑❑❑❑❑

Scanned with CamScanner

अध्याय - 11
क्रीड़ा परिसर

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति के खेल प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा वर्तमान में 02 क्रीड़ा परिसर संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें प्रति क्रीड़ा परिसर 100 सीट के मान से कुल 200 सीट स्वीकृत हैं। ये क्रीड़ा परिसर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ संबद्ध हैं। इन संस्थाओं में अध्यनरत छात्र–छात्राएं अपनी खेल प्रतिभा को विकसित करते हुए निरंतर अध्यनरत हैं।

क्रीड़ा परिसर का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला का नाम	संस्था का नाम	मुख्य खेल विधाएं				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुंगेली	अनुसूचित जाति बालक क्रीड़ा परिसर, मुंगेली जिला मुंगेली	तीरंदाजी	बास्केटबॉल	बेसबॉल	व्हालीबॉल	एथलेटिक्स
2	सक्ती	अनुसूचित जाति कन्या क्रीड़ा परिसर, चिस्दा (हसौद) जिला सक्ती	खो–खो	हैण्डबॉल	व्हालीबॉल	सॉफ्टबॉल	एथलेटिक्स

क्रीड़ा परिसर में प्रवेशित विद्यार्थियों को सुविधाएं :-

प्रत्येक क्रीड़ा परिसर में बालक/कन्या आवासीय सुविधा सहित खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्येक बालक/कन्या को प्रतिमाह रुपये 1500 शिष्यवृत्ति एवं रुपये 500 पोषण आहार हेतु, इस प्रकार कुल राशि रुपये 2000 प्रतिमाह दिया जाता है।

क्रीड़ा परिसर में प्रत्येक विद्यार्थी को वर्ष में एक बार राशि रुपये 3000 मूल्य की संपूर्ण खेल पोषाक दी जाता है, जिसमें 01 ट्रैक सूट, 01 स्पोर्टस/वार्मअप शूज, 02 जोड़ी मोजा एवं 02 जोड़ी संबंधित खेल की पोषाक सम्मिलित है।

कन्या क्रीड़ा परिसर हसौद, जिला सक्ती एवं बालक क्रीड़ा परिसर मुंगेली के छात्र-छात्राएँ

❑❑❑❑❑

Scanned with CamScanner

अध्याय - 12
अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक (महाविद्यालयीन स्तर) छात्रवृत्ति योजना

प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। यह योजना केन्द्र प्रवर्तित है। यह योजना भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं छत्तीसगढ़ राज्य 40 प्रतिशत राज्यांश से संचालित हो रही है।

कक्षा 12 वीं से उच्चतर कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति संचालन का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है।सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 10.03.2015 के द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्ष 2015–16 से कक्षा 11वीं एवं 12वीं की छात्रवृत्ति का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है।

ई-मेधा : ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक (महाविद्यालयीन स्तर) छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया :-

पूर्व में छात्रवृत्ति का समय पर स्वीकृत एवं भुगतान सुनिश्चित करने एवं इसके मॉनीटरिंग करने में विभाग को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था, इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों एवं पालकों को समय पर एवं सही छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायतें आती रहती थी। प्रक्रिया के सरलीकरण एवं समस्याओं के निराकरण हेतु वर्ष 2012–13 से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पूरी प्रकिया का कम्प्यूटराइजेशन किया जाकर आनलाईन आवेदन एवं स्वीकृति की व्यवस्था के माध्यम से छात्रवृत्ति योजना को पारदर्शी बनाया गया है। इस हेतु विभागीय वेबसाइट (www.postmatric-scholarship.cg.nic.in) तैयार किया गया है जिसमें विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करके बायोडाटा की प्रविष्टि एक बार करने के पश्चात् उसे पूरे अध्ययनकाल मे छात्रवृत्ति प्राप्त होती रहेगी तथा प्रतिवर्ष नये आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

वर्ष 2015–16 से सभी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति उनके बैंक एकाउंट में ही स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। जिसके अनुसार विद्यार्थियों के बैंक खाते में ऑन–लाईन छात्रवृत्ति राशि का हस्तांतरण PFMS के माध्यम से किया जा रहा है।

वर्ष 2024–25 में कुल 83040 विद्यार्थियों को राशि रूपये 6983.45 लाख की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है।

विभाग द्वारा किया गया नवाचार :-

विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों हेतु पोस्ट मैट्रिक महाविद्यालयीन स्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन किया जा रहा है। पूर्व की व्यवस्था अनुसार ऑनलाईन छात्रवृत्ति का भुगतान वर्ष में 01 बार माह जनवरी से माह मार्च के मध्य में किया जाता था।

व्यापक लोकहित एवं छात्रहित को ध्यान में रखते हुए सघन एवं सर्तक रूप से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान करने हेतु शिक्षा सत्र 2025–26 से नवीन व्यवस्था के तहत् पंजीयन/स्वीकृति एवं भुगतान की तिथियों का निम्नानुसार निर्धारण कर समय–सीमा के भीतर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है :–

Scanned with CamScanner

आवेदन का प्रकार	विद्यार्थियों द्वारा आनलाइन आवेदन प्राप्ति तिथि	स्वीकृति एवं डिसबर्स		संभावित भुगतान तिथि
		शासकीय	अशासकीय	
नवीनीकरण	31 मई 2025 तक	07 जून 2025 तक	10 जून 2025 तक	10 जून 2025
	31 अगस्त 2025 तक	07 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025
	30 नवम्बर 2025 तक	15 दिसम्बर 2025 तक	20 दिसम्बर 2025 तक	31 दिसम्बर 2025
नवीन	31 अगस्त 2025 तक	07 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025
	30 सितंबर 2025 तक	07 अक्टूबर 2025 तक	10 अक्टूबर 2025 तक	10 अक्टूबर 2025
	30 नवम्बर 2025 तक	15 दिसम्बर 2025 तक	20 दिसम्बर 2025 तक	31 दिसम्बर 2025

नवाचार का प्रभाव :-

विगत वर्ष 2024–25 में 10 दिसम्बर 2024 तक महाविद्यालयीन स्तर की स्वीकृति प्रारंभ नहीं हो पाया था जबकि नयी व्यवस्था उपरान्त दिनांक 10 दिसमबर 2025 तक महाविद्यालयीन स्तर के अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लक्ष्य 60000 के विरूद्ध 38100 (63%) विद्यार्थियों को राशि रूपये 1083.00 लाख (61%) का भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार नवीन व्यवस्था लागू कर समय–समय पर समीक्षा करने से निर्धारित समयावधि में छात्रवृत्ति का वितरण सुनिश्चित हुआ है, जिससे सुशासन की व्यवस्था से जन विश्वास में वृद्धि हुई है।

विगत तीन वर्षों के छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं भुगतान निम्नानुसार है :–

SC Post Matric scholarship		
Year	**Students**	**Amount (in lakhs)**
2022-23	93792	6734.15
2023-24	86032	6618.26
2024-25	83040	6983.45
2025-26 (Dec 2025)	54527	5791.88

Scanned with CamScanner

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की दर (अनुसूचित जाति) :-

यह योजना भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित है। छात्रवृत्ति अंतर्गत नियमानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति एवं निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाता है।

आय–सीमा–रू. 2.50 लाख तक वार्षिक आय, भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति अंतर्गत निर्वाह भत्ता की दरे वर्ष 2020–21 से वर्ष 2025–26 निम्नानुसार लागू है :–

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति वर्ष)	
	छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह–1–डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय प्रोफेशनल पाठ्यक्रम	13500	7000
समूह–2–डिग्री, डिप्लोमा,सर्टिफिकेट से संबंधित अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम	9500	6500
समूह–3–स्नातक एवं स्नातकोत्तरीय स्तरीय अन्य पाठ्यक्रम (जो समूह–1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं)	6000	3000
समूह–4–सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो।	4000	2500

❑❑❑❑❑

Scanned with CamScanner

अध्याय - 13
रोजगार मूलक योजनाएँ

बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा योजना -

यह योजना वर्ष 2009–10 से प्रारंभ की गयी हैं। वर्ष 2012–13 में योजना नियम यथा संशाधित संचालित है। योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष संचालक चिकित्सा शिक्षा के प्रावीण्य सूची के आधार पर अनुसूचित जाति वर्ग के 155 विद्यार्थियों हेतु शैक्षणिक, छात्रावास एवं मेस शुल्क की राशि दिये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत वर्ष 2025–26 में अब तक अनुसूचित जाति वर्ग 187 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण -

छत्तीसगढ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक/युवतियों के लिए हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना वर्ष 2013–14 (यथा संशोधित) विभाग में संचालित है। योजनांतर्गत प्रत्येक वर्ष कुल 50 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है, जो बजट उपलब्धता के आधार पर परिवर्तनशील है। वर्ष 2025–26 में प्रशासकीय विभाग द्वारा प्राचार्य, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नालॉजी एंड एप्लाईड न्यूट्रीशन रायपुर के प्रस्तावित 01 डिग्री एवं 03 डिप्लोमा कोर्स में छात्र–छात्राओं प्रवेश प्रदान करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में संस्था में अनुसूचित जाति के 4 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

रविदास चर्मशिल्प योजना :-

प्रदेश के चर्म सिलाई के व्यवसाय में लगे लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 2008–09 में रविदास चर्मशिल्प योजना प्रारंभ की गई है। इसके तहत् अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को मोची पेटी औजार सहित निःशुल्क प्रदान की जाती है। वर्ष 2025–26 में राशि रूपये 30.00 लाख का बजट प्रावधान है, जिसमें से 195 हितग्राहियों हेतु 08 जिलों को राशि रूपये 30.00 लाख जारी की गई है।

❑❑❑❑❑

Scanned with CamScanner

भाग - चार

Scanned with CamScanner

अध्याय - 14

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, संशोधन अधिनियम 2015 यथा संशोधित अधिनियम 2018 अंतर्गत राहत योजना

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर गैर अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्तियों के द्वारा अत्याचार अपराध करने का निवारण के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने तथा उनके पुनर्वास से संबंधित विषयों के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 संशोधन अधिनियम–2015 तथा मूल अधिनियम 1989 में पुनः 2018 में संशोधन कर संशोधन अधिनियम 2018 लागू किया गया है।

छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम 1995 संशोधित नियम 24 अगस्त 2016 के द्वारा नियम 7 राहत एवं सहायता अंतर्गत देय राहत राशि इस प्रकार है :–

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1.	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना (अधिनियम की धारा 3(1)(क)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। पीड़ित व्यक्ति को संदाय निम्नानुसार किया जाए : 1. क्रम संख्यांक (2) और (3) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (ए फआईआर) पर 10 प्रतिशत और क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रक्रम पर 25 प्रतिशत 2. जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाता है तब 50 प्रतिशत। 3. जब अभियुक्त व्यक्ति क्रम संख्या (2) और (3) के लिए अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर दिया जाता है तब 40 प्रतिशत और इसी प्रकार क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए 25 प्रतिशत।
2.	मल–मूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ख)	
3.	क्षति करने, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव इकट्ठा करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ग)	
4.	जूतों की माला पहनाना या नग्न या अर्ध नग्न घुमाना (अधिनियम की धारा 3 (1)(घ)	
5.	बलपूर्वक ऐसे कार्य करना जैसे कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करना, मूंछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना (अधिनियम की धारा 3(1)(ड.)	
6.	भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उस पर खेती करना (अधिनियम की धारा 3(1)(च)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। जहां आवश्यक हो वहां संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा सरकारी खर्चे पर भूमि या परिसर या जल आपूर्ति या सिंचाई सुविधा वापस लौटाई जाएगी। पीड़ित व्यक्ति को निम्नानुसार संदाय किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
7.	भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करना या अधिकारों जिनके अंतर्गत वन अधिकार भी हैं, के साथ हस्तक्षेप करना (अधिनियम की धारा 3(1)(च.)	

Scanned with CamScanner

8.	बेगार या अन्य प्रकार के बलातश्रम या बंधुआ श्रम (अधिनियम की धारा 3(1)(ज)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
9.	मानव या पशु शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करना (अधिनियम की धारा 3(1)(झ.)	
10.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ञ)	
11.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को देवदासी के रूप में कार्य निष्पादन करने या समर्पण का संवर्धन करने (अधिनियम की धारा 3(1)(ट)	
12.	मतदान करने या नामनिर्देशन फाइल करने से निवारित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ठ)	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
13.	पंचायत या नगर पालिका के पद के धारक को कर्तव्यों के पालन में मजबूर करना या अनित्रस्त करना या उनमें व्यवधान डालना (अधिनियम की धारा 3(1)(ड)	
14.	मतदान के पश्चात हिंसा और सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार का अधिरोपण (अधिनियम की धारा 3 (1)(ढ)	
15.	किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना (अधिनियम की धारा 3 (1)(ण)	
16.	मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(त)	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
17.	किसी लोकसेवक को कोई मिथ्या और तुच्छ सूचना देना (अधिनियम की धारा 3(1)(थ)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।

Scanned with CamScanner

18.	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर साशय अपमान या अपमानित करने के लिए अभित्रास (अधिनियम की धारा 3(1)(द)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
19.	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली गलौज करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ध)	
20.	धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना या उसे अपवित्र करना (अधिनियम की धारा 3(1)(न)	
21.	शत्रुता, घृणा स वैमन्सय की भावनाओं में अभिवृद्धि करना (अधिनियम की धारा 3(1)(प)	
22.	अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करना (अधिनियम की धारा 3(1)(फ)	
23.	किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को साशय ऐसे कार्यों या अंगविक्षेपों का उपयोग करके जो लैंगिक प्रकृति के कार्य के रूप में हों, उस की सहमति के बिना उसे स्पर्श करना (अधिनियम की धारा 3 (1)(ब)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
24.	भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ख (1860 का 45) स्वेच्छया अम्ल फैंकना या फैंकने का प्रयत्न करना (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(फक)	(क) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उससे अधिक जला हुआ है याआंख, कान, नाक और मुंह के प्रकार्य ह्रास और या शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जलन की क्षति की दशा में आठ लाख पच्चीस हजार रूपए। (ख) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसकी शरीर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच में जला हुआ है चार लाख पंद्रह हजार रूपए। (ग) ऐसा पीड़ित व्यक्ति, चेहरे के अतिरिक्त, जिसका शरीर 10 प्रतिशत से कम जला हुआ है को पचासी हजार रूपए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन अम्ल के हमले के पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा। मद (क) से (ग) के निबंधानुसार संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत। 2. चिकित्सा रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर 50 प्रतिशत।

Scanned with CamScanner

25.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354(1860 का 45) स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस हमला या अपराधिक बल का प्रयोग (अधिनियम की अनुसूची क साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
26.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354(1860 का 45) (लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़ने के लिए दंड (अधिनियम की अनुसूची क साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। 3. निचले न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
27.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354ख (1860 का 45) विर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
28.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354ग (1860 का 45) दृश्यरतिकता (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत।
29.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354घ (1860 का 45) पीछा करना (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1 . प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत।

Scanned with CamScanner

30.	भारतीय दंड संहिता की धारा 376ख (1860 का 45) पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
31.	भारतीय दंड संहिता की धारा 376ग (1860 का 45) प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)	पीड़ित व्य क्ति को चार लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
32.	भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (1860 का 45) शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
33.	जल को दूषित या गंदा करना (अधिनियम की धारा 30(1)(भ)	सामान्य सुविधा जिसके अंतर्गत जब पानी दूषित कर दिया जाता है, की सफाई भी है, को वापस लौटाने का पूरा खर्च संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आठ लाख पच्चीस हजार की रकम स्थानीय निकाय के परामर्श से जिला प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय की जाने वाली प्रकृति की सामुदायिक अस्तियों को सृजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा की जाए।
34.	लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढिजन्य अधिकार से इन्कार या लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने में बाधा पहुंचाना (अधिनियम की धारा 3(1)(न)	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पच्चीस हजार रूपए और गुजरने के अधिकार के प्रत्यावर्तन का खर्च। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।

Scanned with CamScanner

35.	गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना (अधिनियम की धारा 3(1)(य)	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल या ठहरने के अधिकार की बहाली और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए की राहत तथा सरकारी खर्चे पर गृह का पुनः संनिर्माण, यदि विनिष्ट हो गया है। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
36.	निम्नलिखित के संबंध में, किसी रीति के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हो बांधा डालना या निवारित करना – (अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्तिया अन्य के साथ समानता के आधार पर कब्रिस्तान या श्मशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)	(अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति संसाधनों कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का अन्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग समानता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रूपए की राहत। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूता आदि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर सा इकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।

Scanned with CamScanner

	(इ) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेना। (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(इ)	(इ) अन्य व्यक्तियों के साथ समानतापूर्वक किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना, या पब्लिक के लिए किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग। (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(ई)	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना, या पब्लिक के लिए किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारवार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच का अधिकार है। (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(उ)	(उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारवार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।

Scanned with CamScanner

37.	डायन होने या जादू–टोना करने का आरोप लगाने से शारीरिक क्षति या मानसिक अपहानि कारित करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(यख)	पीड़ित को एक लाख रूपए और उसके अनादर बेइज्जती, क्षति और उसकी अवमानना के अनुसार संदाय। 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
38.	सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करना या उसकी धमकी देना (अधिनियम की धारा 3(1)(यग)	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से सभी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं की बहाली और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष जिसका संदाय पूर्ण रूप से अवर न्यायालय को आरोप पत्र भेजने पर किया जाएगा।
39.	मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना (अधिनियम की धारा 3(2)(I) और (ii)	पीड़ित को चार लाख पचास हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
40.	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)के अधीन अपराध करना, जो दस वर्ष से उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है। (अधिनियम की धारा 3(2)	पीड़ित और उसके आश्रितों को चार लाख रूपये। इस रकम में फेरफार हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबन्ध किया गया हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
41.	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो अधिनियम की अनुसूची में विर्निदिष्ट है, जो ऐसे दंड से दंडनीय है जैसा ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता में विर्निदिष्ट किया गया है। (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(va)	पीड़ितों और या उसके आश्रितों को दो लाख रूपए। इस रकम में फेरकार हो सकता है, यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबंध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।

Scanned with CamScanner

42.	लोक सेवक के हाथों पीड़ित करना। (अधिनियम की धारा 3(2)(vii)	पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
43.	निःशक्तता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. 16–18/ 97–एनआई तारीख 1 जून 2001 में यथा प्रमाणन की प्रक्रिया कि लिए अंतर्विर्शिष्ट विभिन्न निःशक्तताओं के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। अधिसूचना की एक प्रति उपाबंध 2 पर है।	
	(क) शत–प्रतिशत अक्षमता।	पीड़ित को आठ लाख और पच्चीस हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
	(ख)जहॉ अक्षमता शत–प्रतिशत से कम है किन्तु पचास प्रतिशत से अधिक है ।	पीड़ित को चार लाख और पच्चास हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
	(ग)जहॉ अक्षमता पचास प्रतिशत से कम है	पीड़ित को दो लाख और पच्चास हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
44.	बलात्संग या सामूहिक बलात्संग (i)बलात्संग (भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)की धारा 375)	पीड़ित को पांच लाख रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत.

Scanned with CamScanner

	(ii)सामूहिक बलात्संग (भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)की धारा 376 घ)	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत.
45.	हत्या या मृत्यु	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. शव परीक्षा के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजे जाने पर।
46.	हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, स्थायी अक्षमता और डकैती की पीड़ितो को अतिरिक्त अनुतोष.	पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष का अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नानुसार प्रबंध किया जाएगा :– 1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों के प्रतिमास पांच हजार रूप्ये की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता, जैसा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है और मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर, यदि तुरंत कय द्वारा आवश्यक हो, का उपबंध : 2. पीडित के बालकों की स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण–पोषण। बालकों को सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित आश्रम स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जा सकेगा, 3. बर्तनों, चावल, गेहूं, दालों, दलहन आदि तीन मास की अवधि के लिए उपबंध।
47.	घरों को पूर्णतया नष्ट करना या जलाना.	ईंटों या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण या सरकारी लागत पर उन्हें वहां उपलब्ध कराना जहां उन्हें पूर्णतया जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।"

Scanned with CamScanner

उक्त अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार पीड़ित व्यक्ति/परिवार को सहायता पहुंचाने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 बनाया गया है। इस नियम के अंतर्गत आकस्मिकता योजना नियम 1995 द्वारा पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों को राहत एवं पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राज्य शासन की अधिसूचना 23.08.2012 के द्वारा अत्याचार पीड़ितों को देय राहत एवं पुनर्वास सहायता की दरों में न्यूनतम 140 प्रतिशत से 166: प्रतिशत तक वृद्धि की गई है तथा हत्या/मृत्यु के मामले में जीवन निर्वाह भत्तें की दर में 200 प्रतिशत वृद्धि की गई है। अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1) या 3(2) की विभिन्न उपधाराओं के अंतर्गत विभिन्न अत्याचार अपराध से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के व्यक्ति, उनके परिवार या आश्रितों को राहत एवं पुनर्वास सहायता की पात्रता होगी। वर्ष 2024–25 में अधिनियम के तहत घटित अपराधों में अनुसूचित जाति के कुल 648 व्यक्तियों को राहत सहायता दी गई है। वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर 2025 की स्थिति में 395 अत्याचार पीड़ितों को राहत सहायता स्वीकृत की गई है।

उक्त अधिनियम के तहत बनाये गये अत्याचार निवारण नियम 1995 की धारा 9 के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़ को नोडल अधिकारी घोषित किया गया है। नियम 17 (1) के अनुसार प्रदेश के समस्त 33 जिलों में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समितियों का गठन किया जाता है तथा नियम 17 (3) के अनुसार जिला स्तर पर इन समितियों की बैठकें आयोजित की जा रही है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के विरूद्ध अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में 33 जिलों यथा जिला–रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, जांजगीर–चांपा, कोरबा, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा, बालोद, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा एवं कोण्डागांव में विशेष थाना (पुलिस) स्थापित किए जाकर कार्यरत है। शेष 06 जिलों में कमशः गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, मोहला–मानपुर, सक्ती, सारंगढ–बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़–भरतपुर एवं खैरागढ़–छुईखदान में आजाक प्रकोष्ठ स्थापित होकर संचालित है।

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत जिला जांजगीर–चांपा, जशपुर, कोरबा, कोरिया (बैकुण्ठपुर) एवं रायगढ़ जिला मुख्यालयों की स्थापना हेतु प्रति न्यायालय 10 पद के मान से विशेष न्यायधीश (एट्रो.) एवं स्टाफ के पद सहित कुल 50 पद स्वीकृत किए गए है।

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) सहायता एवं पुनर्वास, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन, अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर आयोजन संबंधी योजनाऍं केन्द्र प्रवर्तित योजनाऍं है, जो कि 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश से क्रियान्वित की जाती है।

राहत एवं पुनर्वास सहायता

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राहत सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2025–26 में राशि रू. 1633.25 लाख का आबंटन जिलों को जारी किया गया है।

Scanned with CamScanner

अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर

अनुसूचित जातियों के विकास एवं कल्याण तथा उनके प्रति अस्पृश्यता के कलंक को मिटाने हेतु जिला एवं ब्लाक स्तर पर सद्भावना शिविरों को आयोजन किया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसे रूढ़ियों और व्यक्तियों के विरूद्ध स्वच्छ निर्मल एवं सामाजिक वातावरण बनाने की पहल है।

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत सद्भावना शिविर के आयोजन हेतु वर्ष 2025–26 में राशि रू. 42.75 लाख जिलों को जारी की गई है।

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

इस योजना का मूल्य उद्देश्य अस्पृश्यता उन्मूलन की दशा में अनुसूचित जाति के युवक अथवा युवती ने गैर अनुसूचित जाति के युवती अथवा युवक से विवाह कर उठाए गए आदर्श कदम हेतु पुरस्कृत एवं सम्मानित करना है। राज्य शासन द्वारा योजनान्तर्गत दिनांक 13 अप्रैल 2018 से प्रति दंपत्ति राशि रू. 2,50,000/– सम्मान राशि दिए जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2025–26 में छत्तीसगढ़ अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के नियम अंतर्गत राशि रू. 2455.00 लाख जिलों को जारी किए गये है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2015–16 में 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू की गई, जिसके कियान्वयन हेतु भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों का एकीकृत विकास हेतु गाईड लाईन तथा केन्द्रांश राशि जारी की जाती है। चयनित ग्रामों में अनुसूचित जाति के परिवारों की मूलभूत आवश्यकताऐं यथा–आवास, पेयजल, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक, आर्थिक विकास इत्यादि तथा चयनित ग्रामों में उपलब्ध/आवश्यक अधोसंरचना के कार्य किए जाने का प्रावधान है।

उक्त योजनान्तर्गत प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक कुल 175 ग्रामों का चयन किया गया है। उक्त चयनित ग्रामों हेतु भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश राशि रू. 4550.00 लाख एवं राज्यांश राशि रू. 3575.00 लाख इस प्रकार कुल राशि रू. 8125.00 लाख पुनराबंटित की गयी है। चयनित ग्रामों को योजना के मापदंड अनुसार आदर्श ग्राम घोषित किया जा चुका है।

Scanned with CamScanner

योजना के द्वितीय चरण में वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2025–26 तक कुल 1050 ग्रामों का चयन भारत सरकार द्वारा किया गया है। चयनित ग्रामों हेतु भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश राशि रू. 15270.795 लाख एवं राज्यांश अनुपातिक राशि रू. 15270.795 लाख इस प्रकार कुल राशि रू. 30541.59 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त चयनित ग्रामों में से 631 ग्रामों को योजना के मापदंड अनुसार आदर्श ग्राम घोषित किया गया है।

वर्तमान में योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 से 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों का चयन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।

मैनुअल स्केवेंजर्स के सर्वेक्षण

छत्तीसगढ़ शासन हाथ से मैला ढुलाई की अमानवीय कुप्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाथ से मेला ढुलाई के रूप में रोजगार के नियोजन का प्रतिशेष और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 36 के कियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा नियम दिनांक 04.03.2014 को अधिसूचित किया जाकर छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया गया है। जिसके अंतर्ग प्रदेश में नगरीय निकायों में अस्वच्छ शौचालयों के सर्वेक्षण का कार्य सभी 168 नगरीय निकायों में किया गया है तथा 4391 अस्वच्छ शौचालय चिन्हांकित किए गये हैं। वर्ष 2020 तक सभी 4391 अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य के जिला मुंगेली में 03 मैनुअल स्केवेंजर्स सर्वे में पाये गये थे। जिन्हें नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा पुर्नस्थापित की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कोई मैनुअल स्केवेंजर्स नहीं है।

राज्य शासन द्वारा 3 फरवरी 2026 को जारी अधिसूचना अनुसार एतद्द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18 सितम्बर 2019 को अतिष्ठित करते हुए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (The Prohibition of Employment as Manual Scavengers) की धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन निम्नानुसार राज्य अनुश्रवण समिति का पुनर्गठन करता है :–

क्र.	नाम/पद	पद
1.	माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्री, छत्तीसगढ शासन, अनुसूचित जाति विकास विभाग	पदेन सदस्य
3.	माननीय अध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जाति आयोग	पदेन सदस्य
4.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिनिधि	पदेन सदस्य
5.	श्री पुन्नूलाल मोहले, माननीय विधायक, मुंगेली	सदस्य
6.	श्री डोमनलाल कोर्सेवाडा, माननीय विधायक, अहिवारा	सदस्य
7.	पुलिस महानिदेशक	पदेन सदस्य
8.	अपरमुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग	पदेन सदस्य
9.	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	पदेन सदस्य
10.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	पदेन सदस्य
11.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	पदेन सदस्य

Scanned with CamScanner

12.	आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़	पदेन सदस्य
13.	आयुक्त, नगरपालिक निगम, रायपुर	सदस्य
14.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर	सदस्य
15.	एस.ई.सी. रेलवे बिलासपुर के द्वारा नामांकित रेलवे का एक प्रतिनिधि	सदस्य
16.	संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी	पदेनसदस्य
17.	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.वि.विभाग, अनु.जा.वि.विभाग, पि.वर्ग एवं अल्प संख्यक विकास विभाग	सदस्य सचिव
18.	श्री दिलीप सारथी, पिता स्व. श्री माखनलाल सारथी, माँ शारदामंदिर के सामने, पारसनगर वार्ड नं. 13, रायपुर (छ.ग.)	सदस्य
19.	श्रीमती सुनिता कुर्रे, पति श्री दीनदयाल कुर्रे, ग्राम पंचायत तेंदुआ, थाना पाटन, जिला–कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ.ग.)	सदस्य
20.	श्री राजपाल कसेर, जगदलपुर (छ.ग.)	सदस्य
21.	सुश्री उत्तरा प्रहरे, पिता श्री रामलाल प्रहरे, वार्ड नं. 12 महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)	सदस्य

❑❑❑❑❑

Scanned with CamScanner

अध्याय -15
सम्मान/पुरस्कार

गुरू घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान पुरस्कार

छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा अनुसूचित जाति वर्गो के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करने के लिये प्रदेश के महान संत गुरूघासीदास की स्मृति में सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है। वर्ष 2025–26 में 1. श्री भुवनदास जांगड़े ग्राम सिरवाबांधा, जिला बेमेतरा छ.ग. 2. श्री शशि गायकवाड़ (सतनामी) ग्राम छड़िया पोस्ट बलौदी, वि.ख. पलारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा छ.ग. को संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया है।

गुरू घासीदास लोक कला महोत्सव

गुरू घासीदास लोक कला महोत्सव अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की परम्परिक लोककला यथा लोककला/लोकगायन/लोकनृत्य जैसे – पंथी नृत्य, भरथरी, पंडवानी, पारम्परिक वाद्ययंत्रों को प्रोत्साहित किया जाना है। गुरूघासी दास लोक कला महोत्सव अंतर्गत जिला स्तर से चयनित लोक कला दलों को राज्य के किसी भी जिले में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन कर पुरस्कृत किया जाता है। चयनित प्रथम पुरस्कार राशि रू. 1.00 लाख द्वितीय राशि रू. 0.75 लाख तथा तृतीय पुरस्कार राशि रू. 0.50 लाख पुरस्कार दिये जाते है। जिला स्तरीय कार्यक्रम हेतु राशि रूपये 16.50लाख तथा राज्य स्तरीय कार्यक्रम हेतु राशि रूपये 15.00 लाख का आबंटन उपलब्ध कराया गया है।

वर्ष 2025 में "गुरू घासीदास लोक कला महोत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम" प्रशासकीय विभाग के निर्देशानुसार ब्लाक नवागढ जिला बेमेतरा में दिनांक 26.12.2025 से 28.12.2025 तक आयोजित किया गया है।

Scanned with CamScanner

भाग - पाँच

Scanned with CamScanner

अध्याय - 16

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम

लक्षित वर्ग के कौशल विकास एंव स्वरोजगार हेतु प्रतिबद्ध

अनुसूचित जाति वर्ग

छत्तीसगढ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम रायपुर छत्तीसगढ सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक 223 दिनांक 30.10.2000 में पंजीकृत है। निगम द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सफाई कामगार वर्गों के आर्थिक विकास की व्यक्तिमूलक योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा 16 अंत्यावसायी व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र राज्य के विभिन्न स्थानों पर संचालित किये जा रहे है।

उद्देश्य -

अनुसूचित जाति वर्ग को विभिन्न व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ तकनीकी व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि वे स्वरोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सकें।

बैंक प्रवर्तित योजना

अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यो को निगम द्वारा अंत्योदय स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन हितग्राहियों को बैंको से ऋण दिलाने हेतु किया जाता है। इस योजना में बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 10,000/– तक जो भी कम हो, अनुदान राशि दिये जाने का प्रावधान है।

पात्रता

1. आवेदक संबंधित जिले का मूल निवासी हो।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो।
3. परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रू. 1,50,000/– हो, (परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी एंव नाबालिग बच्चे से है)।
4. मतदाता पहचान प्त्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंकपास बुक या बिजली बिल आदि।

राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम की आर्थिक विकासपरक विभिन्न स्वरोजगारमूलक कल्याणकारी योजनाएं

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम की वित्तीय ऋण सहायता से विभिन्न प्रकार के स्वरोजगारोन्मुखी योजनाओं का अनुसूचित जाति हेतु संचालित करता है। इसके अतिरिक्त इन वर्गों के विद्यार्थियों के लिए व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। व्यवसायिक उच्च शिक्षा हेतु ऋण देश या विदेश में अध्ययन के लिए दिया जाता है।

राष्ट्रीय निगम की चेनलाईजिंग एजेन्सी

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एंव विकास निगम की चैनेलाइजिंग एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

Scanned with CamScanner

राष्ट्रीय निगम की वित्तीय सहायता से संचालित योजनाएं

विभिन्न राष्ट्रीय निगम वित्तीय सहायता से ट्रेक्टर ट्राली योजना, गुड्स केरियर योजना, पैसेंजर व्हीकल योजना, स्मॉल बिजनेस योजना एवं शिक्षा ऋण योजना संचालित है।

व्यवसायों की सूची

अनुसूचित जाति के सदस्यों को स्वरूचि के व्यवसाय जैसे ट्रेक्टर ट्राली, खेती, वनोपज क्रय–विक्रय, सब्जी फल उत्पादन, बागवानी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, ऑटो पैसेंजर व्हीकल, ऑटो गुड्स कैरियर, ऑटो रिक्शा आदि परिवहन संबंधी, ब्यूटी पार्लर, नाई सेलून की दुकान, साइकिल रिपेयरिंग, कम्प्यूटर रिपेयरिंग, घरेलू विद्युत फिटिंग वायरिंग, होटल ढाबा, सिलाई दुकान, ऑटो पाट्र्स, जूता चप्पल आदि क्षेत्रीय आवश्यकताजनित व्यवसाय। ये व्यवसाय मात्र उदाहरण स्वरूप है, हितग्राही स्वरूचि व स्थानीय मांग एवं पूर्ति के आधार पर व्यवसाय चयन के लिए स्वतंत्र है।

राष्ट्रीय निगम से संचालित योजनाओं में पात्रता

1. आवेदक संबंधित जिले का मूल निवासी हो।
2. आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो। (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र)
3. परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रू. 300000/– से अधिक न हो।
4. आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के अधिक न हो।
5. ट्रेक्टर ट्राली के लिए आवेदक के पास खेतीहर भूमि हो।
6. ट्रेक्टर ट्राली एंव वाहन लेने के इच्छुक आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। इसके अतिरिक्त मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक या बिजली बिल एंव संबधित का पासपोर्ट साइज फोटो।
7. ऋण स्वीकृति की स्थिति में आवेदक को ऋण के बराबर का गारंटी दिया जाना आवश्यक होगा।

ब्याज दर

ऋण राशि रू. 5,00,000/– तक की विभिन्न योजनाओं में ब्याज दर 6% वार्षिक तथा ऋण राशि रू. 5,00,000/– से अधिक सभी योजनाओं में ब्याज दर 8% वार्षिक।

योजनाओं का प्रचार-प्रसार

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय निगमों की वित्तीय सहायता से संचालित योजनाओं का जिला स्तर पर दैनिक समाचार पत्रों, शिविर आयोजित कर एवं ब्रोशर पाम्पलेट छपाकर किया जाता है।

चयन प्रक्रिया

हितग्राहियों का चयन राज्य शासन द्वारा गठित जिला स्तरीय हितग्राही चयन समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें मान. सांसद, मान. विधायक एंव विभिन्न शासकीय विभागों के सदस्य होते है।

Scanned with CamScanner

व्यवसायिक प्रशिक्षण

अनुसूचित जाति के युवक/युवतियों के तकनीकी व्यवसायिक प्रशिक्षण देने का कार्य व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में किया जा रहा है अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में वर्ग के 4 केन्द्र (रायपुर, दुर्ग, रतनपुर, सारंगढ) है।

प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में शिष्यवृत्ति के रूप में राशि रू. 1000/– प्रति माह उनकी उपस्थिति के मान से दी जाती है।

प्रशिक्षण ट्रेड

एपैरल, आटोमोटिव, ब्लैक स्मिथ, ड्राइविंग प्रशिक्षण, इत्यादि।

नियोजन

प्रशिक्षण पश्चात सफल प्रशिक्षणार्थियों को शासकीय/निजी सेवा क्षेत्र में अंत्यावसायी निगम द्वारा नियोजित किया जाता है, साथ ही स्वरोजगार हेतु इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों को निगम की योजना में लाभान्वित किया जाता है।

सम्पर्क

राज्य स्तरीय कार्यालय - प्रबंध संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, (टी.आर.आई.) द्वितीय तल, मुक्तांगन के पास, सेक्टर–24 नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

जिला कार्यालय - जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति सभी 33 जिला मुख्यालय में।

संचालित योजनाओं की प्रगति विवरण वर्ष 2025-26 (अक्टूबर 2025 की स्थिति में)

(राशि लाख में)

क्रं.	योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य		उपलब्धि	
		ई. संख्या	राशि	ई. संख्या	राशि
01	अंत्योदय स्वरोजगार योजना	5000	500.00	2251	225.10
02	राष्ट्रीय अनु.जाति वित्त एवं विकास निगम	–	–	–	–
योग :-		**5000**	**500.00**	**2251**	**225.10**

अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम से लाभान्वित श्री कुबेर नाथ बंजारे -

अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित अत्योदय स्वरोजगार योजना के माध्यम से पात्र हितग्राहियों का लाभांवित किया जाता है। ग्राम–चोरहाडीह, पोस्ट–फरफौद, तह.–आंरग, जिला–रायपुर (छ.ग.) के निवासी श्री कुबेर नाथ बंजारे पिता श्री फेरहा दास बंजारे भी इसी योजना से लाभांवित हुए है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा जिला अंत्यावसायी रायपुर से अनुसूचित जाति ऑटो पैसेंजर व्हीकल योजनान्तर्गत 2,23,474/– रूपये की ऋण राशि प्राप्त की है। पूर्व में वह दूसरे का ऑटो चलाकर अपना परिवार का पालन पोषण करते थे वह शुरू से ही अपना स्वयं का ऑटो खरीदना चाहते थे लेकिन पैसा ना होने के कारण वह खरीद नहीं पाए। एक दिन उन्हें अखबार के जरिये छ.ग. शासन की योजना के बारे में पता चला तो दूसरे दिन कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति रायपुर पहुंचकर अधिकारियों से

Scanned with CamScanner

ऋण लेने हेतु इच्छा जाहिर की तो उनके द्वारा उन्हें ऋण की जानकारी समस्त प्रक्रिया सहित दी गई तथा अंत्यावसायी व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त करने को कहा गया फिर उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर ऋण आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों सहित कार्यालय में जमा किया जिसके बाद उन्हें ऋण प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि वह मंदिरहसौद से तेलीबांधा के रास्ते हुए घड़ी चौक तक अपना ऑटो चलाते है तथा ग्राहकों के अनुसार विभिन्न जगहों पर गाड़ी चलाते है, जिससे उन्हें प्रतिमाह लगभग 15,000/– रूपये तक की आय प्राप्त हो जाती है वाहन मरम्मत ऋण किश्त एवं परिवार की खर्च घटाने के बाद मुझे लगभग 4,000/– रूपये की शुद्ध आय होती है। जिससे मैं अपने परिवार का सही ढ़ंग से पालन पोषण कर पा रहा हूँ एवं मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलवा रहा हूँ। मैं छ.ग. शासन की इस योजना से बहुत खुश हूँ तथा मैं यह चाहता हूँ कि शासन गरीब वर्गों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी इसी तरह से मदद करें ताकि उनका सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो सके। मुझ जैसे बेरोजगार को स्वयं के रोजगार देकर मुझे सक्षम बनाने के लिए मैं छ.ग. शासन एवं जिला अंत्यावसायी रायपुर का आभारी हूँ।

❑❑❑❑❑

Scanned with CamScanner

अध्याय - 17

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 का क्रियान्वयन

छ.ग. राज्य में वर्ष 2008 से अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 का कियान्वयन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति वर्ग के वन निवासी आवेदक अधिनियम के अनुसार अन्य परंपरागत वन निवासी की श्रेणी में आते है। अधिनियम के अनुसार वन भूमि पर अन्य परंपरागत वन निवासी (अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदक भी शामिल) आवेदक द्वारा कब्जे का दावा करने हेतु दिनांक 13.12.2005 कट ऑफ डेट निर्धारित है। अन्य परंपरागत वन निवासी के मामले में दावाकर्ता का कट ऑफ डेट के पूर्व से तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) से उस क्षेत्र के वन/वन भूमि में निवासरत होना एवं आजीविका की वास्तविक आवश्यकताओं हेतु उन पर निर्भर होना आवश्यक है।

राज्य में 30.11.2025 तक व्यक्तिगत वन अधिकार हेतु अन्य परंपरागत वन निवासियों (अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदक भी शामिल) के 2,39,894 आवेदन/दावे प्राप्त हुए, जिनमें से 58,323 दावे स्वीकृत कर 58,129 वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। राज्य में अन्य परंपरागत वन निवासियों (अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदक भी शामिल) के आवेदकों को व्यक्तिगत वन अधिकारों की मान्यता 37,347.677 हेक्टेयर वन भूमि पर प्रदाय की गई है। इसी प्रकार सामुदायिक वन अधिकार (जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राही भी शामिल हैं) हेतु 52,005 आवेदन/दावे प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 48,277 दावे स्वीकृत कर 48,251 वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। तथा सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता कुल 17,47,799.331 हेक्टेयर वन भूमि पर प्रदाय की गई है।

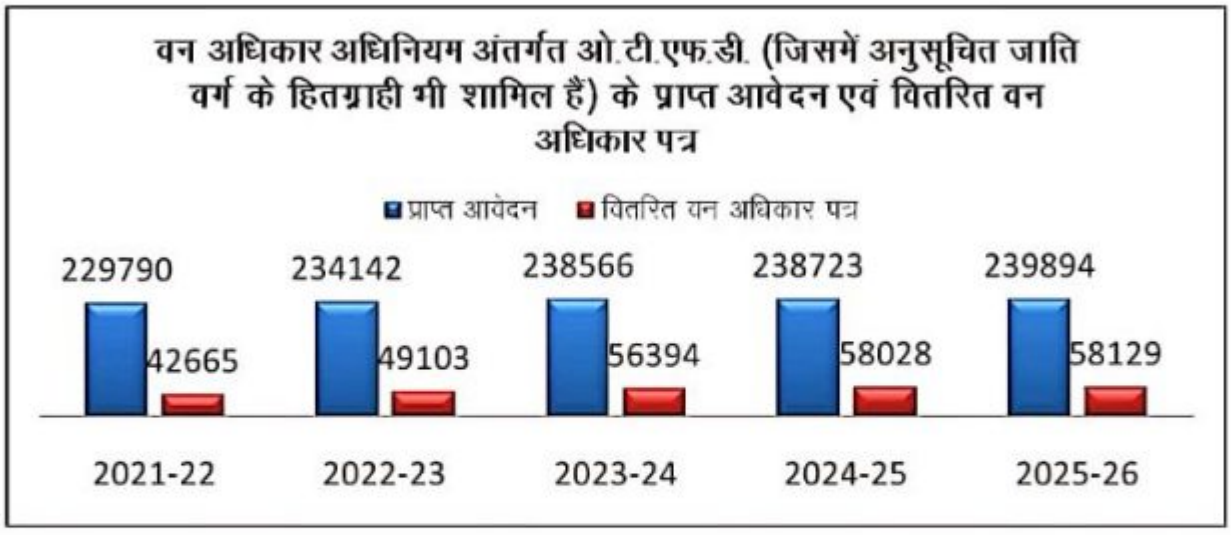

Scanned with CamScanner

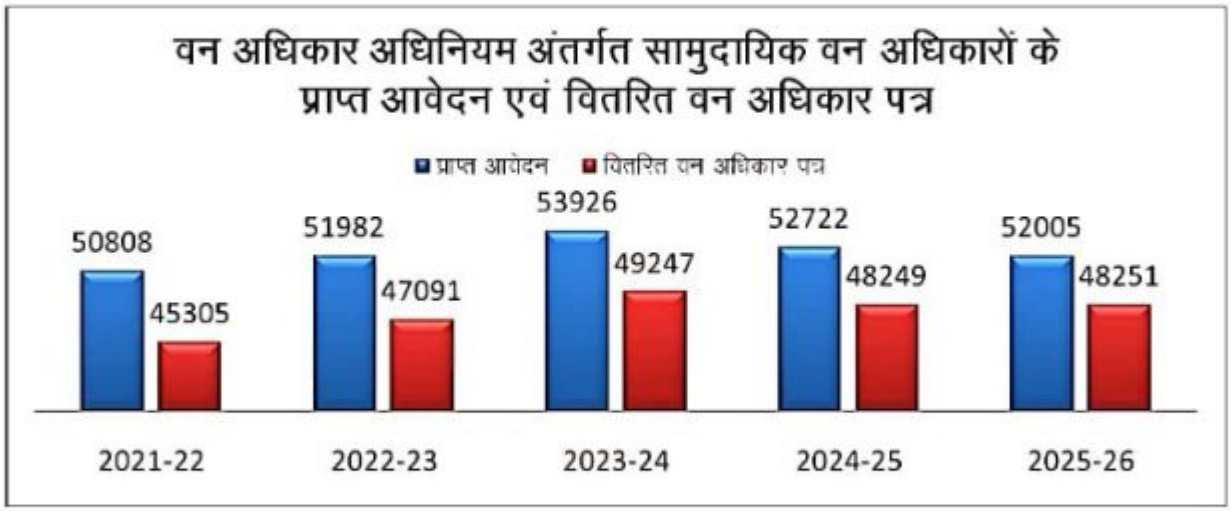

राज्य सरकार की प्राथमिकता व्यक्तिगत वन अधिकारों की मान्यता के साथ ही सामुदायिक वन अधिकारों विशेषकर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार की मान्यता प्रदान करने पर है ताकि अधिनियम की मंशा के अनुसार स्थानीय समुदाय द्वारा अपने वन संसाधनों की दीर्घकालिक उपभोग हेतु सुरक्षा की जा सके तथा अपनी आजीविका का संवर्धन किया जा सके। इसी के तारतम्य में राज्य में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता के अंतर्गत माह नवंबर, 2025 की स्थिति में 4,396 वन अधिकार पत्र संबंधित ग्रामसभाओं (जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राही भी शामिल हैं) को 19,37,017.806 हेक्टेयर भूमि पर वितरित किए गए हैं।

Scanned with CamScanner

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त ग्रामसभाओं (जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राही भी शामिल हैं) में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति (CFRMC) के गठन की कार्यवाही की जा रही है। माह नवंबर, 2025 की स्थिति में 4,396 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्य ग्रामसभाओं में से 3113 ग्रामसभाओं में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति (CFRMC) का गठन किया जा चुका है।

राज्य में वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन रायपुर, दुर्ग एवं बेमेतरा को छोड़कर शेष 30 जिलो में किया जा रहा है। प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ देश में विभिन्न वन अधिकारों की मान्यता देने में अग्रणी राज्य है।

Scanned with CamScanner

अनुसूचित जाति उपयोजना

अनुसूचित जाति उपयोजना पहले विशेष घटक के रूप में जानी जाती थी। अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास पर आधारित अवधारणा है जबकि अनुसूचित जाति उपयोजना का उद्देश्य राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित करना है, किसी क्षेत्र विशेष को नहीं क्योंकि अनुसूचित जातियों का जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष में केन्द्रित न होकर विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है तथापि अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को बुनियादी अधोसंरचना की दृष्टि से अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है।

जिलों की मिश्रित भूमि संरचना एवं अनुसूचित जाति जनसंख्या के फैलाव/बिखराव को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न बृहत सिंचाई, ऊर्जा एवं परिवहन की परियोजनाओं से केवल अनुसूचित जाति जनसंख्या को लाभान्वित कर पाना संभव नहीं है। इसलिये ऐसे कार्यक्रम जिनसे लक्षित समूह को सीधे लाभान्वित किया जा सके जैसे समुदाय पर आधारित संरचनात्मक कार्य पेयजल सुविधा, सामुदायिक केन्द्र, अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/बस्तियों में सी.सी.रोड तथा कौशल उन्नयन स्वरोजगार योजना विशेष घटक योजना की अम्ब्रेला योजना अंतर्गत लिए जाते हैं। अनुसूचित जाति उपयोजना की बृहद संकल्पना से विभिन्न क्षेत्रों की अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। इस हेतु विभिन्न विकास विभागों के वार्षिक बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना मद में प्रदेश की अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में बजट प्रावधान रखे जाने पर जोर दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के वार्षिक बजट में राशि रू. 14036.49 करोड़ अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए प्रावधानित की गई है।

❑❑❑❑❑

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

भाग - छः

Scanned with CamScanner

अध्याय - 18
फ्लैगशिप योजनाएँ

राजीव युवा उत्थान योजना

उद्देश्य :- पूर्व में यह योजना युवा कॅरियर निर्माण योजना के नाम से संचालित थी। योजनांतर्गत निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा, बैकिंग परीक्षा, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, छ.ग. व्यापम तथा अन्य संस्थानों द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पात्रता रखने वाले प्रतिभावान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराना एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है।

वर्ष 2025–26 में उक्त योजनांतर्गत कुल 923.40 लाख का बजट प्रावधान है, जिसमें अनुसूचित जाति हेतु कुल 52.60 लाख का बजट प्रावधान है।

राजीव युवा उत्थान योजना अंतर्गत 03 घटक हैं -

1. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु
2. छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी
3. एस.एस.सी., बैकिंग, रेलवे तथा व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र

Scanned with CamScanner

1. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु :-

देश की राजधानी में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए राजीव युवा उत्थान योजना के तहत् द्वारका, नई दिल्ली में विभाग द्वारा ट्रायबल यूथ हॉस्टल का संचालन किया जा रहा है। यह संस्था पूर्णतः आवासीय है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2024–25 से कुल 200 सीट्स स्वीकृत हैं, जिसमें ड्रापर/रिपीटर बैच हेतु 15 सीट शामिल हैं। वर्ष 2025–26 में अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अनुसूचित जाति :-

वर्ष	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट	चयनित विद्यार्थी			
			प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण (UPSC)	मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण (UPSC)	छ.ग. PSC से चयनित	अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से चयनित अभ्यर्थी
2022–23	15	15	04	0	02	0
2023–24	20	16	04	0	02	01
2024–25	60	51	04	01	0	01

विशेष उपलब्धि :-

वर्ष 2025 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में 01 विद्यार्थी–श्री हरविंदर सिंह (अनुसूचित जाति) मुख्य परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर साक्षात्कार की तैयारी कर रहे है।

2. छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी :-

राजीव युवा उत्थान योजना के तहत् छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु वर्ष 2025–26 से कुल 200 सीटें स्वीकृत हैं, जिसमें 50 सीट जिला रायपुर , 50 सीट जिला दुर्ग एवं 100 सीट बिलासपुर हेतु निर्धारित हैं।

अनुसूचित जाति :-

वर्ष	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट
2022–23	30	30
2023–24	30	30
2024–25	30	19

Scanned with CamScanner

3. एस.एस.सी., बैंकिंग, रेलवे तथा व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयारी

राजीव युवा उत्थान योजना अंतर्गत संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र जिसमें बैंकिंग, रेलवे, व्यापम तथा एस.एस.सी. जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है।

प्रशिक्षण केन्द्र :-

जिला मुख्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, नारायणपुर एवं कबीरधाम में स्थापित हैं। प्रत्येक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में 100–100 सीट इस प्रकार कुल 500 सीट्स स्वीकृत हैं। वर्ष 2022–23 से सभी 05 केन्द्रों में 6–6 माह के दो सत्र संचालित किये गये, इस तरह 1000 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया। इसमें 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग, 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग एवं 20 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु निर्धारित है। यह कोचिंग पूर्णतः आवासीय है।

स्वीकृत एवं प्रवेशित की जानकारी (अनुसूचित जाति) :-

वर्ष	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट	चयनित विद्यार्थी
2022–23	300	300	5
2023–24	300	300	7
2024–25	300	300	2
2025–26	300	300	–

Scanned with CamScanner

युवा कॅरियर निर्माण योजनांतर्गत प्री. मेडिकल तथा प्री. इंजीनियरिंग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण (कोचिंग) योजना

विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 100 (अनुसूचित जाति–36) प्रतिभावान विद्यार्थी, जो कक्षा 12वीं में 70 प्रतिशत से अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण है तथा ड्रॉप लेकर प्री. इंजीनियरिंग एवं प्री.मेडिकल परीक्षा की तैयारी करना चाहते है, के लिए यह योजना बनाई गई है। यह प्रशिक्षण आवासीय एवं निःशुल्क है।

अनुसूचित जाति :-

वर्ष	बजट प्रावधान (राशि लाख में)	लाभान्वित अभ्यर्थियों की संख्या	मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेजो में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
2022–23	45.00	36	5
2023–24	45.00	36	3
2024–25	45.00	36	5
2025–26	45.00	29	प्रशिक्षण प्रक्रियाधीन है

युवा कॅरियर निर्माण योजना (पी.ई.टी.-पी.एम.टी. कोचिंग रायपुर)

संघ लोक सेवा अयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2009

प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2010–11 में प्रारंभ की गई। इस योजना अंतर्गत निम्नानुसार प्रावधान है :–

1. संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) मात्र।

Scanned with CamScanner

2. यह राशि किसी भी प्रयास में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु दी जाती है।

योजना नियमावली अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने पर परीक्षण उपरांत आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाती है।

अनुसूचित जाति :-

क्र.	वर्ष	बजट प्रावधान (राशि लाख में)	अनुसूचित जाति
01	2023–24	5.00	01
02	2024–25	5.00	01
03	2025–26	5.00	01

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना

अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग हेतु पाटन जिला दुर्ग में बालक एवं जिला रायपुर में बालिका प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है। सम्पूर्ण छ.ग. राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक स्कूली शिक्षा के साथ–साथ प्रतियोगी परीक्षाओं यथा – इंजीनियरिंग, मेडिकल, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज (एन.टी.एस.सी.), क्लेट, सी.ए./सी.एस/सी.एम.ए इत्यादि प्रवेश परीक्षाओं हेतु कोचिंग प्रदान कर इन विद्यार्थियों को स्वयं के प्रतिभा के बल पर सफल/सक्षम/प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए तैयार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के आदेश क्रमांक/एफ–16–24/2023/25–2 दिनांक 23.06.2023 द्वारा मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लिये प्रयास आवासीय विद्यालय योजना नियमावली वर्ष 2022–23 की स्वीकृति प्रदान की गई है।

वर्ष 2025-26 में स्वीकृत एवं भरे सीट :-

क्र.	जिला	प्रयास आवासीय विद्यालय जहाँ संचालित हैं	विषय	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत सीट संख्या	प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या		
						बालक	कन्या	योग
01	दुर्ग	नवीन प्रयास (अनु. जाति) बालक आवासीय विद्यालय, पाटन, जिला दुर्ग	गणित तथा जीवविज्ञान समूह	2023	375	256	–	256
02	रायपुर	नवीन प्रयास(अनु. जाति) कन्या आवासीय विद्यालय, जिला रायपुर	गणित तथा जीवविज्ञान समूह	2023	375	–	270	270
योग					**750**	**256**	**270**	**526**

Scanned with CamScanner

वर्ष 2024-25 प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम :-

क्र.	प्रयास विद्यालय का नाम	संस्था में कक्षा 10वीं में पंजीकृत कुल विद्यार्थी	कक्षा 10वीं परीक्षा में बैठे कुल विद्यार्थियों की संख्या	कक्षा 10वीं की परीक्षा नहीं देने वाले विद्यार्थियों की संख्या	कक्षा 10वीं में 60 प्रतिशत से ऊपर अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या	कक्षा 10वीं में 60 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या
1	प्रयास बालक (अनु. जाति वर्ग) आवासीय विद्यालय पाटन जिला–दुर्ग	79	79	0	71	8
2	प्रयास कन्या (अनु. जाति वर्ग) आवासीय विद्यालय रायपुर	56	56	0	56	0
योग		**135**	**135**	**0**	**127**	**08**

विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाएं :-

1. प्रयास आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को सभी सुविधाएं यथा अध्यापन, कोचिंग, आवास, भोजन, गणवेश, पुस्तकों की व्यवस्था आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।
2. अध्यापन एवं कोचिंग की व्यवस्था आऊटसोर्स से "रूचि की अभिव्यक्ति" (EOI) के तहत चयनित कोचिंग संस्था द्वारा करायी जाती है।
3. विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्यापन के साथ–साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल, सी.ए./सी.एस, क्लैट की कोचिंग के साथ ही एन.टी.एस.ई., विज्ञान पहेली जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में भी शामिल कराया जाता है।
4. शिष्यवृत्ति के रूप में राशि रूपये 2000/–प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी वर्ष में 12 माह प्रदान किया जाता है।
5. विद्यार्थियों हेतु फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलॉजी तथा कम्प्यूटर लैब की सुविधा संस्था में उपलब्ध है।
6. प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों को कोचिंग के लिए स्टडी मटेरियल के रूप में संदर्भ पुस्तिका निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने हेतु परीक्षा शुल्क भी विभाग की ओर से दिया जाता है।
7. विद्यार्थियों के खेल तथा मनोरंजन की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है।

Scanned with CamScanner

लैपटॉप प्रदाय योजना :-

प्रयास आवासीय विद्यालयों से चयनित विद्यार्थी जो वर्तमान शिक्षण सत्र में IIT, NIT, IIIT, MBBS जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थाओं में प्रवेश होने पर उन्हे प्रोत्साहन स्वरूप लैपटॉप/चेक के माध्यम से राशि प्रदान की जाती है।

आर्थिक सहायता योजना :-

प्रयास आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थी जो IIT में प्रवेश प्राप्त कर अध्ययन कर रहे उनको प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी प्रोत्साहन स्वरूप राशि रू. 40000/– की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना :-

योजना का उद्देश्य प्रतिभावान एवं गरीब छात्रों को IIT, AIIMS, IIM, NLU, MBBS शासकीय मेडिकल व इंजीनियरिंग जैसे संस्थानों में चयनित विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए आर्थिक सहायता राशि रूपये 50,000/– (एक बार) प्रदान करना है।

आर्यभट्ट विज्ञान-वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना

नक्सल हिंसा से प्रभावित प्रदेश के जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के शिक्षको के पद रिक्त रह जाते है क्योंकि इस वर्ग के विद्यार्थियों की रूचि विज्ञान एवं

Scanned with CamScanner

वाणिज्य विषय में कम है। अतः इन वर्ग के विद्यार्थियों को विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के अध्ययन एवं अध्यापन को प्रोत्साहित करने हेतु विभाग द्वारा दुर्ग एवं जगदलपुर में 500–500 सीटर विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। इन क्षेत्रों में शिक्षको की पूर्ति हेतु वर्ष 2013–14 से यह अभिनव योजना प्रारंभ की गई है।

इसके अंतर्गत स्नातक स्तर पर गणित विषय हेतु 80, जीव विज्ञान हेतु 80, वाणिज्य हेतु 40 सीटे है। स्नातकोत्तर कक्षा में विज्ञान हेतु 80, वाणिज्य हेतु 20 सीटे है। बी.एड. हेतु कुल 200 सीट स्वीकृत है।कुल 500 स्वीकृत सीटों में से 20 प्रतिशत सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है।

योजना अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों जिन्होंने ने स्नातक–स्नाकोत्तर शिक्षा विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के साथ जारी रखी है, उन्हें शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्री.बी.एड. तथा टी.ई.टी. परीक्षा हेतु मार्गदर्शन एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जाता है।

वर्ष 2025–26 में राशि रूपये 240.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जाति की जानकारी :-

वर्ष	विज्ञान वाणिज्य विकास केन्द्र (कन्या) दुर्ग	विज्ञान वाणिज्य विकास केन्द्र (बालक) जगदलपुर
2023–24	22	6
2024–25	27	8
2025–26	23	15

❑❑❑❑❑

Scanned with CamScanner

अध्याय - 19
छ.ग. राज्य में घोषित अनुसूचित जातियों की सूची*

संविधान में संषोधित (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 संविधान में संशोधन (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 में (अ) पद 2 में अंक XXIIके लिए अंक XXII प्रतिस्थापित की जावे। अनुसूची में, भाग XXII के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जावे, अर्थात।

भाग XXII - छत्तीसगढ़

क्रं.	जाति का नाम
1.	औधेलिया
2.	बागरी, बागड़ी
3.	बहना,बहाना
4.	बलाही, बलाई
5.	बांछड़ा
6.	बराहर, बसोड़
7.	बरगूंडा
8.	बसोर, बरूड़, बंसोर, बंसोड़ी, बांसफोर, बसार
9.	बेड़िया
10.	बेलदार, सुनकर
11.	भंगी, बेहतर, बाल्मिकी, लालबेगी, धरकर
12.	भानुमति
13.	चडार
14.	चमार, चमारी, बेरवा, भांबी, जाटव, मोची, रेगर, नोना, रोहीदास, रामनामी, सतनामी, सूर्यवंशी, सूर्यरामनामी, अहिरवार, चमार, मागन, रैदास
15.	चिड़ार
16.	चिकवा, चिकवी
17.	चितार
18.	दहैत, दहायत, दाहत
19.	देवार
20.	धानुक
21.	ढेड़, ढेर

Scanned with CamScanner

22. डोहोर
23. डोम, डूमार, डोमे, डोमार, डोरिस
24. गांड़ा, गांड़ी
25. घासी, घसिया
26. होलिया
27. कन्जर
28. कतिया, पथरिया
29. खटिक
30. कोली, कोरी
31. खंगार, कनेरा, मिर्धा
32. कुचबंधिया
33. महार, मेहरा, मेहर
34. मांग, मांगगरोड़ी, मांगगारूड़ी, दंखनीमांग, मांगमहासी, मदारी, गारूड़ी राधेमांग
35. मेघवाल
36. मोघिया
37. मुसखान
38. नट, कालबेलिया, सपेरा, नवदिगार, कुबुतर
39. पसी
40 रूज्झार
41. सांसी, सांसिया
42. सिलावट
43. झमराल
44. तूरी

नोट : छ.ग. राज्य में घोषित अनुसूचित जाति की उपरोक्त सूची राज्य पूर्व गठन आयोग 2000 द्वारा प्रकाशित सूची से ली गई है।

* **Disclaimer (अस्वीकरण)** उपरोक्तानुसार दी गई जानकारी अनुसूचित जाति आयोग से प्राप्त की गई है, तथापि इस संबंध में प्रकाशित राजपत्र/आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त जानकारी से मिलान कर लिया जावे।

❑❑❑❑❑

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

भाग - सात

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

अध्याय - 20
सारांश

अनुसूचित जाति विकास विभाग प्रदेश की अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक उन्नति के साथ–साथ उनके सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन तथा सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही विभाग इनकी शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए योजनाबद्ध तरीकों से अनेक योजनाओं का सतत् क्रियान्वयन कर रहा है। परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रों में आशातीत सफलताएँ मिली हैं। राज्य बनने के पश्चात् अनुसूचित जाति वर्ग की सांस्कृतिक विरासत तथा आस्था स्थलों के संरक्षण एवं विकास को चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है। जनसंख्या के अनुपात में विविध समस्याओं एवं आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में इन वर्गों के सर्वांगीण विकास को मूर्त रूप प्रदान करना विभाग की मुख्य प्राथमिकता रही है। इस हेतु विभाग द्वारा अनेक अभिनव योजनाएँ संचालित की जा रही है। शैक्षणिक उत्थान के साथ स्वरोजगारमूलक योजनाओं के माध्यम से आर्थिक आत्म निर्भरता तथा सामाजिक समरसता स्थापित करना विभाग का लक्ष्य है। विशिष्ट संस्थाओं के रूप में क्रीड़ा परिसर जैसे आवासीय विद्यालय के संचालन से इन वर्गों के छात्र–छात्राओं की प्रतिभाओं को निखारा जा रहा है। वहीं राज्य मुख्यालय पर 'प्रयास' जैसी संस्था के संचालन से नक्सल प्रभावित जिलों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को बेहतर कॅरियर निर्माण हेतु नए अवसर खुले हैं। रायपुर स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय की सफलता को देखते हुए विभाग द्वारा संभागीय मुख्यालय जगदलपुर, अम्बिकापुर, दुर्ग और बिलासपुर तथा जिला मुख्यालय कांकेर तथा कोरबा, जशपुर जिलों में भी 'प्रयास' आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। विभागीय शिक्षण संस्थाओं तथा छात्रावास/आश्रमों में शिक्षा के क्षेत्र में सूचना तकनीक आधारित शिक्षण/स्मार्ट क्लास/कम्प्यूटर शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि विद्यार्थी वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों से भिज्ञ होकर एवं दक्षता प्राप्त कर प्रतिस्पर्धात्मक बन सके। विभिन्न शैक्षणिक/आवासीय संस्थाओं को आधुनिक स्वरूप देने के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं।

अनुसूचित जाति उपयोजना के माध्यम से भी विभाग अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए कटिबद्ध है। अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्रों में स्थानीय विकास व अधोसंरचना निर्माण के कार्यों को गतिशील करने के लिए राज्य में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के माध्यम से स्थानीय विकास की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु अनुकरणीय प्रयास हुए हैं।

विकास की असीम संभावना से युक्त छत्तीसगढ़ राज्य को विकास पथ पर अग्रसर करने हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के हित में बेहतर कार्य करने की प्रतिबद्धता एवं प्रबल इच्छाशक्ति से अभिप्रेरित होकर और पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए नीतियों, योजनाओं एवं तौर–तरीकों में परिवर्तन/परिमार्जन का भी प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं अब शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति वर्ग की विशिष्ट उपलब्धियों को रेखांकित किया जाने लगा है। इन समुदायों को समाज की मुख्यधारा में लाने हेतु समावेशी विकास की इस यात्रा में विभाग हितप्रहरी के रूप में चुनौतियों को सामना करते हुए निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर है।

❑❑❑❑❑

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

VISIT US

https://x.com/TribalCgGov?s=08
https://www.facebook.com/share/15JsAVzB2r/
https://youtube.com/@cgtribalgov?si=GeHFLViscvVYzb9u
https://www.instagram.com/cg.tribalgov/profilecard/?igsh=eG1yaTFyamRjaG5p

Scanned with CamScanner